ई. मेल :- dforudraprayag@gmail.com
फोन/ फैक्स नं0 :- +91-8126660575::
पता -: माई की मढी निकट जवाडी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक :- 3765/12-1(2) दिनांक 15/05/2025::

सेवा में

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी

विषय :- जनपद रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.50 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के संबंध में। **PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/39084/2019**

सन्दर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या-8बी./यू.सी.पी./06/179/2020/एफ.सी./98 दिनांक 22.04.2021, पत्र संख्या-8बी./यू.सी.पी./06/179/2020/एफ.सी./1076 दिनांक 30.12.2024, प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र संख्या-1827/12-1 दिनाक 10.01.2025 तथा आपकी पत्र संख्या-1421/12-1 दिनांक 06.02.2025।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में भारत सरकार स्तर से प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-3(ख) के अनुपालन में तथा उक्त सन्दर्भित पत्रों में उल्लिखित निर्देशों के अनुपालन में **(क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रुप में अधिसूचित कर अधिसूचना की प्रति)** वांछित सूचना पूर्व में ही इस कार्यालय के पत्रांक-3695/12-1(2) दिनांक 12.05.2023 के द्वारा मूल सहित तीन प्रतियों में सलग्न कर प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग, गोपेश्वर को प्रेषित करते हुये भारत सरकार, नोडल कार्यालय एवं संबधित प्रस्तावक विभाग को अवगत कराया जा चुका था। चूंकि प्रश्नगत प्रकरण में प्रभावित भूमि केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, गोपेश्वर के क्षेत्रान्तर्गत तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग के क्षेत्रान्तर्गत है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि परिवेश पोर्टल 1.0 के अन्तर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों में प्रभाग स्तर पर कोई भी अभिलेख ऑनलाईन अपलोड करने का विकल्प लॉक हो जाता है, जिस कारण प्रभाग स्तर से उक्त सूचना परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड नही की जा सकी।

अतः प्रकरण में वांछित (पूर्व में प्रेषित सूचना मय सलग्नक) सूचना संलग्न कर आपको परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(कल्याणी)
उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

संख्या- 3765/दिनांकित।

प्रतिलिपि 1:- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2:- प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग, गोपेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 3:- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, ऊखीमठ को सूचनार्थ प्रेषित।

(कल्याणी)
उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

o/c

PDF Scanner ACE Scanner

ई. मेल :- dforudraprayag@gmail.com
फोन/ फैक्स नं0 :– +91-8126660575::
पता –: माई की मढ़ी निकट जवाडी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक :– 3695 /12–1(2) दिनांक 12/05 /2023::

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्य जीव वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय :– जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.50 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के संबंध में। **PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/39084/2019**

सन्दर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या–8बी./यू.सी.पी./06/179/2020/एफ.सी./240 दिनांक 19.05.2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में कुल प्रभावित 4.50 है0 वन भूमि आपके वन प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत है तथा प्रभावित भूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम–न्यालसू 9.00 है0 सिविल भूमि इस वन प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत चयनित की गई है। उक्त चयनित भूमि के संबंध में भारत सरकार स्तर से वांछित 02 बिन्दुओं की सूचना कॉलमवार/बिन्दुवार निम्न प्रकार प्रेषित है–

बि. सं.	प्रश्न	उत्तर
1	राज्य सरकार से अनुरोध है कि धनराशि रु. 33,38,118/– हेतु संशोधित सी.ए. स्कीम इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	धनराशि रु. 33,38,118/– हेतु संशोधित सी.ए. (सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन) स्कीम संलग्न है। **(संलग्नक–1)**
2	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0–3(ख) की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा यह सूचित किया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रुप में अधिसूचित करने की अधिसूचना कार्यविधि है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशानिर्देश के पैरा 2.4(i) के अनुसार, विधिवत् स्वीकृति से पूर्व भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत् क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र (सिविल और सोयाम भूमि) को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रुप में कृपया अधिसूचित करना सुनिश्चित करें तथा अधिसूचना से संबंधित दस्तावेज को संबंधित वन संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करवाकर इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	प्रकरण में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0–3(ख) के अनुपालन में चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र का म्यूटेशन आदेश की प्रति **संलग्नक–2**, अमलदरामद की प्रति **संलग्नक–3** (सिविल और सोयम भूमि) तथा उक्त क्षेत्र को आरक्षित वन/संरक्षित वन घोषित किये जाने से संबंधित प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न हैं। **(संलग्नक–4)**

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार। (मूल सहित तीन प्रतियों में)

भवदीय

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

संख्या– 3695 /दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, ऊखीमठ को सूचनार्थ प्रेषित।

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

O/C

PDF Scanner ACE Scanner

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **जनपद–रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.50 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन** किया जाना है। उपरोक्त कार्य हेतु **ग्राम–न्यालसू श्रेणी–9(ख)(2)– (अन्य प्रकार के वृक्ष जंगल झाड़िया व लम्बी घास) की ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या–26 के खसरा संख्या–822 रकवा–5.437 है0 मध्ये–5.437 है0 तथा खसरा संख्या–823 रकवा–3.794 है0 मध्ये–3.563 है0 अर्थात् कुल रकवा–9.00 है0 सिविल भूमि** क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के पत्रांक–5020/छब्बीस–17/2020–21 दिनांक 23.07.2021 के द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी है। अधिसूचना संख्या–869-F/638 दिनांक 17.10.1893 तथा उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या–1506/14-2-97-800(II)/1997 दिनांक 17.03.1997 के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन है। उक्त भूमि का नामान्तरण आदेश राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष मे कर दिया गया है। इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है, जिसे पुनः संरक्षित वन घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रतिहस्ताक्षरित

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

(मुहर: उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग)

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

पत्रांक- 2469 / 12-1 **दिनांकित पौड़ी** 01/04/ **2023**

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी, (उत्तर मध्य क्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, 25 सुभाष रोड़, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
5. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
6. संबंधित जिलाधिकारी।
7. गार्ड बुक।

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

PDF Scanner ACE Scanner

संलग्नक -②

(18)

:: आदेश ::

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऊखीमठ, रूद्रप्रयाग के पत्रांक-- 24/13C दिनांक 28--05-2021 के अनुसार भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उ0मध्य क्षेत्र), देहरादून के द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या- 3 (क) के अनुपालन में चयनित सिविल सोयम भूमि ग्राम न्यालसू के खसरा संख्या- 822, 823 में 9.00 है0 भूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम म्यूटेशन/ नामान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उप जिलाधिकारी ऊखीमठ द्वारा तहसीलदार ऊखीमठ के पत्र संख्या- 100/र0का0-क्षति0वृ0/(2020-21) दिनांक 22 जून, 2021 को अग्रसारित करते हुये अवगत कराया गया है कि राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है0 वनभूमि के सापेक्ष, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम न्यालसू (रामपुर) में चयनित 9.000 है0 सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के नाम म्यूटेशन किया जाना है। उक्त चयनित भूमि ग्राम न्यालसू के ज0वि0र0-श्रेणी 9(ख)(2)- अन्य प्रकार के जंगल झाड़ियां व लम्बी घास की भूमि की श्रेणी में खतौनी खाता संख्या- 26 के खसरा संख्या 822 रकवा 5.437 है0 मध्ये सम्पूर्ण रकवा 5.437 है0 तथा खसरा संख्या- 823 रकवा 3.794 है0 मध्ये 3.563 है0 कुल 9.000 है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई है।

अतः शासनादेश संख्या- 2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 राजस्व अनुभाग-2 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुये, तहसीलदार/ उपजिलाधिकारी, ऊखीमठ द्वारा राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र फाटा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम न्यालसू के खतौनी खाता संख्या- 26 के खसरा संख्या 822 रकवा 5.437 है0 मध्ये सम्पूर्ण रकवा 5.437 है0 तथा खसरा संख्या- 823 रकवा 3.794 है0 मध्ये 3.563 है0 कुल 9.000 है0 चयनित भूमि को उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के नाम क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित/ नामान्तरित एवं अमलदरामद करने की एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

दिनांक-22-07--2021

ह0/-

(मनुज गोयल)

जिलाधिकारी,

रूद्रप्रयाग।

Scanned with CamScanner

PDF Scanner ACE Scanner

संलग्नक-(3)

कार्यालय जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग।

संख्या– 2663 /26–02(2018–19) दिनांक रूद्रप्रयाग ~~–फरवरी~~, 04 2022

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रूद्रप्रयाग।

विषयः– त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग निर्माण में 9.000 है0 भूमि, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम नामान्तरण/म्यूटेशन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के आदेश 5020/छब्बीस–17/2020–21 दिनांक 23 जुलाई, 2021 के द्वारा उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम न्यालसू की ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या– 26 के खसरा नं0– 822 रक्वा 5.437 हे0 मध्ये सम्पूर्ण रकवा 5.437 हे0 तथा खसरा नं0– 823 रक्वा 3.794 हे0 मध्ये 3.563 है0 अर्थात कुल रकवा 9.0002 हे0 चयनित/प्रस्तावित भूमि उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग के नाम क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित/नामान्तरित कर अमलदरामद करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

उक्त आदेश के क्रम में उप जिलाधिकारी ऊखीमठ द्वारा तहसीलदार ऊखीमठ के पत्र संख्या– 566/र0का0–क्षति0वृ0/ (2020–21) दिनांक 27 फरवरी, 2021 के क्रम में अवगत कराया गया है कि रा0उ0नि0 फाटा द्वारा ग्राम न्यालसू की ज0वि0र0 खतौनी के खतौनी खाता संख्या– 26 में दर्ज एवं अमलदरामद किया गया है।

अतएव उक्त ज0वि0र0 खतौनी की नकल की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

प्रभारी अधिकारी (सं0कार्या0),
कृते–जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अधि.अभि., लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ।

2– उप जिलाधिकारी ऊखीमठ।

प्रभारी अधिकारी (सं0कार्या0),
कृते–जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

वन भूमि ह0 प्र0
प्रा0 का0 हे

5-3-2022

प्रेषक,

तहसीलदार,
ऊखीमठ।

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
रूद्रप्रयाग।

द्वाराः– उप जिलाधिकारी, ऊखीमठ।

संख्या– 566 /रा०का०–क्षति०वृ०/(2020–21) दिनांकः ऊखीमठ, फरवरी 27, 2022

विषयः– **त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग निर्माण में 9.000है० भूमि, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम नामान्तरण/म्यूटेशन किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक, कृपया आपके कार्यालय आदेश संख्या– 5020/छब्बीस–/2020–21/दिनांकः 23 जुलाई 2021 का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके अनुसार, तहसील ऊखीमठ में त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग निर्माण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 9.000है० भूमि को, उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग, वन प्रभाग रूद्रप्रयाग, के नाम क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित/नामान्तरित एवं अमलदरामद करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

इस सम्बन्ध में राजस्व उप निरीक्षक फाटा को खतौनी में अमलदरामद किये जाने हेतु, निर्देशित किया गया। रा०उ०नि० फाटा द्वारा, उक्त आदेश को, ग्राम न्यालसू की ज०वि०र० खतौनी में खतौनी खाता संख्या–26 में अमलदरामद कर, खतौनी नकल उपलब्ध करायी गयी है। जिसकी मूल प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः उक्तानुसार आख्या सादर सेवा में प्रेषित।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

जिलाधिकारी महोदय,
रुद्रप्रयाग
तहसीलदार ऊखीमठ की जाँच आख्या
संस्तुति सहित सेवा में प्रेषित।

उप जिलाधिकारी,
ऊखीमठ।

तहसीलदार,
ऊखीमठ।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० (सिं०ख०) रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

तहसीलदार,
ऊखीमठ।

PDF Scanner ACE Scanner

संलग्नक - (3)

नकल खतौनी ज॰वि॰र॰ ग्राम:- न्यालसू

जनपद:-रूद्रप्रयाग

राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र:- प्याउ **तहसील:- ऊखीमठ**

श्रेणी:- ६ (ख) (२) अन्य प्रकार के वृक्ष जंगल झाड़ियां व लम्बी घास:-

खेवट खाता की क्रम संख्या	मुन्तखिब (खतौनी) खाता नम्बर	खातेदार व काबिज का नाम तथा निवास स्थान	मुद्दत काबिज या कब्जा	हाल खसरा नम्बर	क्षेत्रफल नाली/मुठ्ठी/ हैक्टयर में	नाम तोक	
1	2	3	4	5	6	7	8 से 21
—	२६	जंगल झाड़ी	—	८२२ ८२३	२८६ १८६॥≡	कुमद [illegible]	मुताबिक आदेश श्रीमान जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग के कार्यालय पत्र संख्या-5020/छब्बीस-2020-21/दिनांक: रुद्रप्रयाग: जुलाई 23, 2021 एवं शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010, राजस्व अनुभाग-2 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में तहसीलदार/उपजिलाधिकारी ऊखीमठ द्वारा ग्राम न्यालसू की खतौनी खाता सं. 26 के खसरा नम्बर 822 रकबा 5.437 है. मध्ये सम्पूर्ण रकबा 5.437 है. तथा खसरा नं. 823 रकबा 3.794 है. मध्ये 3.563 है. कुल 9.000 है. चयनित भूमि उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग के नाम प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्वीकृत होने पर राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद किया।

(हस्ताक्षर)
र.ना.नि.
?/10/2021

khatoni Form-khatoni Form-1